श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते वर्ष 2020–21

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 6.10.2012 एवं 28.12.2017 (संलग्न) अनुसार शर्ते निम्नानुसार हैः–

(1.) वाहन मालिक/संस्था समस्त शासकीय विभागों द्वारा निर्धारित टैक्स देता हो तथा इस हेतु वाहन मालिक/संस्था का परिवहन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में निर्धारित टैक्स हेतु पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड नं.) होना अनिवार्य है।

(2.) वाहन का मॉडल वर्ष 2018 अथवा पश्चात का होना चाहिये वह अच्छी हालत में होना अनिवार्य है एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन टैक्सी कोटे में पंजीयन होना चाहिये।वाहनो की संख्या का न्यूनतम 50 प्रतिशत वाहन फर्म के/स्वंय के नाम पर होना आवश्यक है वर्ष 2019 एवं 2020 के वाहनों को प्राथमिक्ता दी जावेगी।

(3.) मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना गया है। इसके लिए वाहन किराये के फिक्स्ड चार्जेस देय होगें। 1000 कि.मी. से अधिक प्रवास उपयोग पर प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से दर्शायी जावें।

(4.) वाहन किराए की दर चालक सहित एवं चालक रहित पृथक–पृथक दर्शायी जावे।

(5.) वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी/संस्था द्वारा संपूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसों सहित) निरंतर 12 घंटे वाहन अथवा चालक अथवा दोनों उपलब्ध नही हुए तो प्रत्येक दिवस के लिये रू. 1000/–(रू. एक हजार मात्र) के मान से भुगतान में कटौती की जावेगी।

(6.) वाहन का अनुबंध प्रथमतः एक) वर्ष के लिए किया जाएगा तथा सेवाऐं एवं वाहन का रख–रखाव संतोषजनक होने पर आगमी (एक–एक) वर्ष के लिए तीन वर्षो तक बढाया जा सकेगा।

(7.) वाहनों का नियमित रूप से प्रतिमाह मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मेंटेंनेंस, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी द्वारा वहन किया जावेगा। इस हेतु संबंधित अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अवकाश दिवस में उक्त कार्य किया जाएगा। यदि वाहन में ईधन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो उसकी दरें भी प्रस्तुत करें।

(8.) वाहन पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान का उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी/संस्था द्वारा वहन किया जावेगा।

(9.) (अ) किराये पर प्राप्त किये जाने वाला वाहन बीमित (**INSURED**) होगा एवं वाहन के साथ सवारी का बीमा भी हो, कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेंसी/संस्था का होगा

(ब) वाहन चोरी की स्थिति में समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी/संस्था का होगा।

(10.) वाहन सदैव ईधन एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा।

(11.) वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को निर्धारित वाहन चालक लायसेंसधारी होना चाहिये तथा उसका आचरण शालीन तथा अनुशासित होना चाहिये एवं उसे स्वच्छ वर्दी में होना चाहिए।

(12.) वाहन किराये पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कार्यालय द्वारा परिवर्तित की जा सकती है।

(13.) वाहन की टूट–फूट होने पर रिपेयरिंग एव सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, यदि तीन दिवस तक लगातार चालन योग्य वाहन एवं चालक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जाएगी।

(14.) रू. 500/– के स्टॉम्प पर निविदाकर्ता द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे समस्त शर्ते उन्हें मान्य है।

(15.) प्रत्येक वाहन हेतु रू. 5000/–की अर्नेस्ट मनी बैंक सांवधि जमा के रूप में जो श्रमायुक्त इंदौर के पक्ष में देय हो,निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह निविदा की अवधि पूर्ण होने अथवा अमान्य होने पर वापसी योग्य होगी।

अपर श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश, इन्दौर

संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेंगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि नियमानुसार समान्यतः संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत होगी। निष्पादन प्रतिभूति राशि नगद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद बैंकर्स चैक एवं **irrevocable** बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जावेगा।

(16.) निविदा को मान्य/अमान्य करने, स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर के पास सुरक्षित रहेगा।

(17.) निविदा स्वीकार होने पर वाहन 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित एजेंसी को श्रमायुक्त इंदौर को देना होगी।

(18.) किराये पर लिये गये वाहनों का वैध फिटनेस तथा देय समस्त कर जमा होने की जानकारी के उपरांत ही वाहन किराये पर लिया जावेगा।

(19.) प्राप्त निविदाओं का विशलेषण एवं मूल्यांकन (**Analysis and evaluation**) फिक्सड चार्जेस (**Fixed charge**), वेरिएबल चार्जेस (**variable charge**) मुख्यालय के बाहर की यात्राओं हेतु अनुमानित निर्धारित औसत दूरी आदि कारकों (**Factor**) के आधार पर किये जायेंगे एवं तद्नुसार सफल निविदाकारों को कमबद्व किया जाएगा।

(20.) प्रत्येक वाहन चालक को प्रत्येक माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी (आबंटिती) के हस्ताक्षर से वाहन की लॉग बुक एवं परिचालन का गौसवारा आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(21.) तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोलने के पूर्व उन्हें वाहनों का प्रदर्शन करवाया जाना होगा। प्रदर्शन में सफल होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

(22.) निविदा में टेक्नीकल बिड एवं फायनेंसीयल बिड के लिफाफे पृथक–पृथक निम्नानुसार होना चाहिए टेक्निकल बिड अनुसार पात्र पाये जाने वाली फर्म की ही फाईनेंशियल बिड खोली जावेगी।

<u>1. टेकनीकल बिडः–</u>

(1.) वाहन का पंजीयन टैक्सी कोटे में होना अनिवार्य है। पंजीयन की प्रमाणित छाया प्रति दी जाए।

(2..) वाहन का प्रकार (मेक एवं मैन्यूफेक्चरिग वर्ष सहित)

(3.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से टैक्सी संचालन हेतु निर्धारित टैक्स हेतु पंजीयन की छाया प्रति।

(4.) वाहन के इंशोरेन्स की छाया प्रति।

(5.) निविदा शर्तो के अनुबंध हेतु शपथ–पत्र रूपये 500/– के स्टॉप पर।

(6.) धरोहर राशि रूपये 5,000/–प्रति वाहन डी.डी./सांवधि जमा के रूप में जो श्रमायुक्त, म.प्र.इन्दौर के पक्ष में हो।

(7.) पेन कार्ड की छाया प्रति।

(8.) बैंक खाते का विवरण।

(9.) वर्ष 2018 –19 में चुकाये गये आयकर व सेवाकर के अभिलेख

(10.) जीएसटी में पंजीयन होना अनिवार्य है।

(11.) अनुमानित कुल वाहनो की संख्या –09 का अनुबंधं किया जाना है।

(12.) सफल निविदाकार को प्रत्येक वाहन में टोल भुगतान हेतु फास्टैग लगवाना होगा जिसके शुल्क का वहन स्वयं निविदाकार को करना होगा टोल पर फास्टैग से चुकायी गयी राशि के प्रमाणित देयक प्रस्तुत करने पर इस राशि का नियमानुसार भुगतान निविदाकार को मासिक देयक के साथ किया जायेगा।

एवं टैक्निकल बिड की शर्त कमांक 1से 12 तक की जानकारी सिरियल नम्बर से संलग्न करे।

<u>1. फायनेंशियल बिडः–</u>

(1.) वाहन की दरें वाहन की कीमत अनुसार निविदा आवेदन फार्म अनुसार।

अपर श्रम आयुक्त (प्रशासन)
मध्यप्रदेश,इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर हेतु
वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आवेदन फार्म वर्ष 2020 – 21

1.	संस्था / एजेंसी का नाम	:	
2.	संस्था का सेवा कर पंजीयन कमांक	:	
3.	संस्था / मुखिया का पेन नं.	:	
4.	संस्था का स्थाई पता	:	
5.	मोबाईल एवं दूरभाष नं.	:	
6.	संस्था का जीएसटीएन एवं पंजीयन की प्रमाणित प्रति	:	
7.	कितने वाहन फर्म के नाम से है उनकी संख्या (न्यूनतम –09 एवं उनके पंजीयन कमांक व पंजीयन जारीकर्ता का विवरण)	:	
8.	वाहनो के क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयन कमांक एवं अभिलेख	:	
9.	वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में भुगतान किये सेवाकर रसीद की छायाप्रति	:	
10.	आयकर एवं जीएसटी विवरणी वर्ष 2017–18 एवं 2018–19	:	

(अ) वाहन मय वाहन चालक सहित पैट्रोल / डीजल व समस्त शासन द्वारा निर्धारित टैक्स खर्चो सहित सरल कमांक 01 से 03 पर अंकित वाहन की दरें अंकित करें।

अ.कं	वाहन की लागत	वाहन का मैक मॉडल, वर्ष 2018 (किन्तु 2019 या बाद के मॉडल को प्राथमिकता)	प्रतिमाह 1000 किलो मीटर तक किराये की दर समस्त करों सहित	प्रतिमाह 1000 किलो मीटर से अधिक (प्रवास) की दर
1	रूपये 6.50 लाख			
2	रूपये 8.00 लाख			
3	रूपये 10.00 लाख			

(ब) वाहन, वाहन चालक रहित पैट्रोल / डीजल व समस्त शासन द्वारा निर्धारित टैक्स खर्चो सहित सरल कमांक 01 से 03 पर अंकित वाहन की दरें अंकित करें।

अ.कं	वाहन की लागत	वाहन का मैक मॉडल, वर्ष 2018 (किन्तु 2019 या बाद के मॉडल को प्राथमिकता)	प्रतिमाह 1000 किलो मीटर तक किराये की दर समस्त करों सहित	प्रतिमाह 1000 किलो मीटर से अधिक (प्रवास) की दर
1	रूपये 6.50 लाख			
2	रूपये 8.00 लाख			
3	रूपये 10.00 लाख			

(द) अर्नेस्ट मनीः–

अ.कं.	सांवधि जमा कमांक दिनांक	शाखा का नाम	राशि
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

हस्ताक्षर
निविदा आवेदन पत्र का कं.
रसीद कमांक / दिनांक